तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 10/2021 अनवान नन्दलाल बनाम तहसीलदार बाड़मेर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत बाड़मेर गादान पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 11.10.2021 को अम्बेडकर छात्रावास चौहटन रोड़ बाड़मेर गादान पर पेश हो। **(रोहित चौहान)** **उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर**	
11.10.2021	पत्रावली अम्बेडकर छात्रावास चौहटन रोड़ बाड़मेर गादान में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मजमेआम मे फर्द मौका बनाकर प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार बाड़मेर गादान के खसरा नंबर 2360/2084 रकबा 3.03 बीघा भूमि में खातेदार कालूराम पुत्र कान्तिलाल कौम क्रियागर के नाम की शुद्धि हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत बाड़मेर गादान में मजमे–आम मे पूछताछ करने पर उपस्थित ने खातेदार कालूराम का सही नाम नन्दलाल होना बताया एवं प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड संख्या 2414 7053 0262, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड संख्या ALFPL 0226M मतदाता पहचान पत्र RJ/23/177/496132 जन आधार कार्ड संख्या 4623104242 में भी प्रार्थी का नाम नन्दलाल वल्द कान्तिलाल अंकित पाया गया। उपस्थित ने प्रार्थी खातेदार का नाम कालूराम वल्द कान्तिला के स्थान पर नन्दलाल वल्द कान्तिलाल की शुद्धि किया जाना उचित बताया। अतः तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन स्वीकार कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण मे मौजा बाड़मेर गादान के खसरा नंबर 2360/2084 रकबा 3.03 बीघा भूमि में खातेदार कालूराम पुत्र कान्तिलाल कौम क्रियागर के नाम को शुद्धि किया जाकर नन्दलाल वल्द कान्तिलाल दुरूस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश अलग से जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। **(रोहित चौहान)** **उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021)
शिविर स्थल का नाम :– अम्बेडकर छात्रावास चौहटन रोड़ बाड़मेर गादान

प्रकरण संख्या 10 / 2021

क्रमांकः: प्र.गां.सं.–21 / 2021 / 6011

दिनांक :–11.10.2021

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाड़मेर आगौर व भू– अभिलेख निरीक्षक बाड़मेर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाडमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाडमेर की जमाबंदी संवत् 2072–2075 में खाता संख्या 81 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नं0	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बाड़मेर गादान	81	2360/2084	कालूराम वल्द कांतिलाल	नदंलाल वल्द कान्तिलाल

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
दिनांक :– 11.10.2021

क्रमांकः: प्र.गां.सं.–21 / 2021 / 6012–6014
प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बाड़मेर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीध्र किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. पटवारी हल्का बाड़मेर आगौर को आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता दुरूस्त शीध्र किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
3. प्रार्थी श्री नदंलाल पुत्र कान्तिलाल जाति क्रियागर निवासी आचार्यो का वास ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर